न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

Appx. A
Crim-1

न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोटन~~ जिला भीलवाड़ा

हाजा बनाम प्रतिवादी

किस्म मुकदमा

नं. 211 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/25	श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक: न्याय/विविध/2025/420133 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में दि. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,92क,183,188 [illegible] महाविद्यालय की पत्रावलियां संलग्नित होकर वास्ते सुनवाई [illegible] को वास्ते सुनवाई तलब किया जाकर कार्यवाही [illegible] पत्रावलियों का सम्पादन रूप [illegible] अधिनियम 1956 की धारा 216 (ii) में [illegible] उक्त पत्रावलियों में तारीख न्याय प्रदान किये जाने [illegible] दिनांक 30/6/25 [illegible] -आज पेश हुई) वादी का पुत्र उपस्थित हुआ तथा आदेशिका पर वादी हाजा पुत्र गिरधारी ओड़ की मृत्यु होने एवं वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के नाम दर्ज होने की रिपोर्ट का संकल्प किया गया। वादी स्वयं द्वारा एक वाद संख्या 116/25 पेश करने एवं विचाराधीन होने से वाद सं. 211/25 को निरस्त करने का अनुरोध किया। वाद सं. 116/25 व 211/25 की पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त दोनों वाद में वादग्रस्त आराजीयात समान होने एवं समान मुद्दतोश चाहने एवं वादी की मृत्यु (211/25 के) होने से वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फाइल शुमार होकर फाइल दफ्तर हो। हमा नम्बर के कम हो। 30/6/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। उक्त दावे को निरस्त करें एवं उक्त आराजी मेरे नाम पर आ गई है। नकल दावा सी. 116/25 लालाराम ओड़